न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महिपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर: 22/2021 प्रार्थना पत्र

अनवान

र सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह रावणा राजपूत (दरोगा) आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील ड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ---- प्रार्थी।

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ---विपक्षी।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एवं 222 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत् कृषि जोतो का एकीकरण एवं विलयीकरण

परिस्थित :–

श्री मनोहर लाल सैन– ---अधिवक्ता प्रार्थी।

पेरोकार सरकार– ----विपक्षी।

:: **निर्णय** :: दिनांक– 29/01/2021

प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थनापत्र सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की अपनी खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 4699 रकबा 0.0506 हेक्टयर, आराजी नम्बर 4699/2 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4699/3 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4699/4 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4699/5 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4722/1 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4722/2 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4722/3 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4723 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4723/2 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4724 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4724/2 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4724/4 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आ0नं0 4724/5 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4724/7 रकबा 0.0253 हैक्टयर के संबध मे छोटे छोटे टूकड़े होने से खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नम्बरान का विलयीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एवं 222 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत कृषि जोतो का एकीकरण एवं विलयीकरण का पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:12:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण मे विपक्षी को नोटिस जारी किये गये व ... ही प्रार्थी द्वारा विपक्षी समक्ष पूर्व मे खसरा नम्बरान का विलयीकरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसमे विपक्षी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा

ई जांच रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गयी। विपक्षी पैरोकार सरकार द्वारा भी व पेश न कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को स्वीकार किया गया।

पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया गया व बहस प्रार्थी सुनी गयी व प्रार्थी के तेदारी हक अधिकार की भूमि जिसके छोटे छोटे टूकडे होकर सटे हुए है जिनके अलग ग नम्बर से राजस्व नक्शे मे स्पष्ट दर्शित नहीं हो पाते है। उक्त भूमि का विलयीकरण होने किसी भी पक्ष के हितों पर भी विपरीत प्रभाव नही पड़ता है। पटवार हल्का द्वारा अपनी ंच रिपोर्ट मे दर्शित अनुसार खसरान का विलयीकरण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 4724, 4724/2 को आराजी नम्बर 4724 रकबा 0.0505 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4724/4, 4724/5 को आराजी नम्बर 4724/4 रकबा 0.0252 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4724/7 को आराजी नम्बर 4724/5 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4723, 4723/2 को आराजी नम्बर 4723 रकबा 0.0758 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4722/1, 4722/2, 4722/3 को आराजी नम्बर 4722/1 रकबा 0.1518 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4699, 4699/2 को आराजी नम्बर 4699 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4699/3, 4699/4, 4699/5 को आराजी नम्बर 4699/4 रकबा 0.0885 हैक्टयर के रूप एकीकरण कर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी व राजस्व नक्शे मे इन्द्राज किया जाने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि उक्त एकीकरण विलयीकरण कर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

यह आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:12:24 IST
Reason: SelfAttested